उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-06/2016/6769/नौ-5-15-180सा/2015
लखनऊ : दिनांक 07 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन** (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के चयनित/पात्र नगर स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जाना है। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक **'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति'** (State Level High Power Steering Committee-SLHPSC) का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक दिनांक 04.12.2015 में मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के गठन की संस्तुति की गई है। उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT) के अन्तर्गत प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार **राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC-State Level Technical Committee)** का गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	CPHEEO, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
4	निदेशक, राज्य नगर विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
5	प्रबन्ध निदेशक, (विद्युत वितरण) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, 30प्र0 या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
8	अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
10	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
11	मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य सचिव

2- उक्त समिति **अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन** (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समस्त क्रिया-कलापों/दायित्वों का निर्वहन करेगी।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 06/6769(1)/नौ-5-15-180सा/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
(6) मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, राज्य नगर विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, (विद्युत वितरण) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(12) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(13) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(14) अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(15) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
(16) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(17) निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(18) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।